न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट,ठाकुरद्वारा

दुलारी देवी बनाम विक्रम आदि

परिवाद सं0—02/2018

14.09.2018

अभियुक्तगण भूरी, ओमपाल, विक्रम, सोमपाल, राधा व गजेन्द्र की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र परिवाद सं0—02/2018 धारा—147,323,504,506,452 भा0दं0सं0 थाना—भोजपुर जिला मुरादाबाद में प्रस्तुत कर किया गया।

प्रार्थनापत्र पर सुना, पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्तगण स्वेच्छया आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में है। मामला परिवाद पर आधारित है, अभियुक्तगण को अभी तक सुनवाई का मौका नहीं मिला है। उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों में जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकृत किये जाने योग्य है। अतः मामले के गुण दोष पर टिप्पणी किये बिना अभियुक्तगण की जमानत का पर्याप्त आधार है। अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण भूरी, ओमपाल, विक्रम, सोमपाल, राधा व गजेन्द्र द्वारा पच्चीस—पच्चीस हजार रू0 का एक—एक प्रतिभू एवं समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।

न्यायिक मजिस्ट्रेट
ठाकुरद्वारा।